2024 / 238

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 24 / 2024 (राजसमन्द आर्डर)

1. श्रीमती जानी देवी पत्नी स्व. सोहन जाति डांगी निवासी बिलोता, तहसील देलवाड़ा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. चेतन पुत्र स्व. सोहन डांगी नाबालिक जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती जानी देवी पत्नी स्व. सोहन जाति डांगी निवासी बिलोता, तहसील देलवाड़ा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. विराज पुत्र स्व. सोहन डांगी नाबालिक जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती जानी देवी पत्नी स्व. सोहन जाति डांगी निवासी बिलोता, तहसील देलवाड़ा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलार्थीगण

बनाम

1. गोवर्धन उर्फ गोर्धन पुत्र हेमाजी जाति डांगी निवासी बिलोता, तहसील देलवाड़ा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमती झमकु पत्नी हेमा जाति डांगी निवासी बिलोता, तहसील देलवाड़ा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. श्रीमती फेकाबाई पत्नी हेमाजी जाति डांगी निवासी बिलोता, तहसील देलवाड़ा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. डालचन्द पुत्र हुक्मीचन्द जाति डांगी निवासी बिलोता, तहसील देलवाड़ा, जिला राजसमन्द (राज.)
5. नरपत पुत्र लालसिंह जाति डांगी निवासी बिलोता, तहसील देलवाड़ा, जिला राजसमन्द (राज.)
6. नरेश पुत्र नारायणलाल जाति डांगी निवासी बिलोता तहसील मावली जिला राजसमन्द (राज.)
7. देवा पुत्र स्व. उदा जाति डांगी निवासी बिलोता, तहसील देलवाड़ा, जिला राजसमन्द (राज.)
8. गोपीलाल पुत्र स्व. उदा जाति डांगी निवासी बिलोता, तहसील देलवाड़ा, जिला राजसमन्द (राज.)
9. डालचन्द पुत्र उदा जाति डांगी निवासी बिलोता, तहसील देलवाड़ा, जिला राजसमन्द (राज.)
10. भगा पुत्र कालु जाति डांगी निवासी बिलोता, तहसील देलवाड़ा, जिला राजसमन्द (राज.)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:09:54 IST
Reason: SelfAttested

11. रूपा पुत्र वगता जाति डांगी निवासी बिलोता, तहसील देलवाड़ा, जिला राजसमन्द (राज.)
12. हका पुत्र वगता जाति डांगी निवासी बिलोता, तहसील देलवाड़ा, जिला राजसमन्द (राज.)
13. श्रीमती अमरी पत्नी वाला जाति डांगी निवासी बिलोता, तहसील देलवाड़ा, जिला राजसमन्द (राज.)
14. देवा पुत्र पुरा जाति डांगी निवासी बिलोता, तहसील देलवाड़ा, जिला राजसमन्द (राज.)
15. मांगीलाल पुत्र वाला जाति डांगी निवासी बिलोता, तहसील देलवाड़ा, जिला राजसमन्द (राज.)
16. पटवार हल्का बिलोता तहसील देलवाड़ा जिला राजसमन्द (राज.)
17. उपपंजीयन अधिकारी पंजीयन कार्यालय देलवाड़ा जिला राजसमन्द(राज.)
18. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देलवाड़ा जिला राजसमन्द (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा
दिनांक 19.06.2024 प्रकरण संख्या
48/2024 प्रार्थना पत्र

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
उदयपुर

<u>उपस्थित</u> :– 1– श्री भूरालाल डांगी अभिभाषक अपीलार्थीगण
2– श्री देवीलाल जाट अधिवक्ता रेस्पो. सं. 6

–––::–––

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक 15–12–2025</u>

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बिलोता में प्रार्थी [illegible] कलम संख्या 2 के परिशिष्ट ''अ'' में व[illegible] 1905, 2025, 2028, 2029, 2033, 2034, [illegible] 3058 कुल किता 13 रकबा 1.6441 हैक्टयेर भूमि स्थित है, जिसमें [illegible]गण प्रत्येक का 1/12 हिस्सा संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:09:54 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

दर्ज है। परिशिष्ट ''ब'' में वर्णित आराजी नम्बर 2742, 3028, 3030 कुल किता 3 रकबा 2.2257 में प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी सोहन के नाम 1/6 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। परिशिष्ट ''स'' में वर्णित आराजी नम्बर 3112 कुल किता 1 रकबा 0.2023 हैक्टयेर में प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/12 हिस्सा संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।

इसी प्रकार राजस्व ग्राम मजेरा में परिशिष्ट ''अ'' की आराजी नम्बर 1241, 1268, 1269, 1271 कुल किता 4 रकबा 0.4173 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी सोहन का 1/12 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। परिशिष्ट ''ब'' की आराजी नम्बर 1239 कुल किता 1 रकबा 0.2023 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/18 हिस्सा दर्ज है तथा संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
उदयपुर

इसी प्रकार राजस्व ग्राम शिकारवाड़ी में परिशिष्ट ''अ'' की आराजी नम्बर 375 कुल किता 1 रकबा 0.2529 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण प्रत्येक का 2/27 हिस्सा दर्ज है तथा संयुक्त रूप से 2/9 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। परिशिष्ट ''ब'' की आराजी नम्बर 380, 381 कुल किता 2 रकबा 1.4543 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/9 हिस्सा दर्ज है तथा संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में राजस्व ग्राम बिलोता के परिशिष्ट ''ब'' एवं राजस्व ग्राम मजेरा के परिशिष्ट ''अ'' में प्रार्थीगण के पिता सोहन पिता हेमा का नाम राजस्व रेकर्ड़ में दर्ज है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिनके विधिक वारिस प्रार्थीगण होकर अपने नाम घोषणा कराने के अधिकारी है। विपक्षी संख्या 1 से 3 प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 वर्णित भूमियों का बिना विधिवत विभाजन करायें विक्रय कर अजनबी व्यक्तियों को कब्जा सुपुर्द करने पर आमादा है, जिसका उन्हें कोई अधिकार नही है। राजस्व ग्राम बिलोता के परिशिष्ट ''स'' एवं राजस्व ग्राम शिकारवाड़ी के परिशिष्ट ''ब'' की भूमियों का [illegible] वि[illegible] संख्या 1 से 3 द्वारा विपक्षी संख्या 4 से 6 के पक्ष में करा दिया [illegible] जिससे विपक्षी संख्या 4 से 6 जबरन कब्जा करने पर उतारु है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:09:54 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावें।

2. विपक्षी संख्या 1 से 6 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण द्वारा द्वेषतावश प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। विपक्षी संख्या 1 से 3 को अपने हक हिस्से की भूमि को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है। अतः प्रार्थना पत्र पूर्ण खारिज किया जावें।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 19.06.2024 को निर्णय पारित करते हुये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रुष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे दिनांक 13.08.2024 को प्रस्तुत की गई है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस किये जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 06 की ओर से अभिभाषक श्री देवीलाल जाट उपस्थित हुए, शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष बहस सुनी गई।

5. अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुये बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 द्वारा भूमि का बिना विधिवत विभाजन कराये प्रतिवादी संख्या 4 से 6 को विक्रय करने पर आमादा है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अपीलान्टगण जिस हिस्से पर काबिज है उस भूमि को रेस्पोडेन्ट विक्रय करने पर आमादा है जिससे अपीलान्टगण को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टिया केस अपीलान्ट के पक्ष में है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नही दिया है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावें तथा मूल वाद के निस्तारण तक रेस्पोडेन्टगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावें।

Signature Not Verified

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 6 के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि [illegible] न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिंदु प्रथम दृष्टया [illegible] सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का विवेचन करते हुये अपीलान्टगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो विधि संवत् होने से अपील खारिज की जावे।

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:09:54 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

7. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबंदी संवत् 2075–78 में राजस्व ग्राम बिलोता के परिशिष्ट ''स'' वर्णित आराजी नम्बर 3112 रकबा 0.2023 के रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से 6 रिकॉर्डेड खातेदार दर्ज है। इसी प्रकार राजस्व ग्राम शिकारवाड़ी के परिशिष्ट ''ब'' वर्णित आराजी नम्बर 380, 381 किता 2 रकबा 1.4543 हैक्टेयर भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से 6 के खातेदारी में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिंदु प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति पर विवेचन करते हुए यह माना की प्रार्थीया ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि विवादित भूमि का विभाजन नही हुआ है। रेस्पोडेन्ट/विपक्षी संख्या 4 से 6 रिकॉर्डेड खातेदार है तथा विधि अनुसार रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती। किसी भी रिकॉर्डेड खातेदार को उसके हक हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित किया जाना न्याय संगत नही होगा। तदनुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

8. अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ निर्णय दिनांक 19.06.2024 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 15.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

15-12-25

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:09:54 IST
Reason: SelfAttested